न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/302

चतुर्भुज आत्मज छोगालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी।
----अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर गोदपुत्र छोटू जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
2. श्रीमती घीसी पुत्री छोटू पत्नी उद्धा जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. श्रीमती भूली पुत्री छोटू पत्नी भंवर लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भंवरदा तहसील व जिला बून्दी ।
4. श्रीमती कैलाश बाई पुत्री छोटू पत्नी देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
5. गोपाल आत्मज नानू जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
6. गंगाराम
7. सीताराम पिसरान जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी
8. घासी आत्मज भवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
9. किशना आत्मज नानू जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
10. भोलू आत्मज गणपत जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
11. पुष्पा पत्नी देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी (नाम तर्क)
12. बालू पुत्री देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
13. दुर्गा आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
14. नन्दकिशोर आत्मज प्रभू जाति गुर्जर निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
15. किशना आत्मज शंकर जाति कुम्हार निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी ।
16. लालचन्द गोद पुत्र घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड हाल निवासी अग्रवाल दालमीन के पास छत्रपुरा रोड, बून्दी ।
17. नन्दलाल आत्मज हजारी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी।
----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 183 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम अन्धेड तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 301 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त की भूमि है । वादी एवं प्रतिवादीगण लालचन्द एवं नन्दलाल इस भूमि के संयुक्त रूप से सरकारी कागजात में खातेदार दर्ज हैं । प्रतिवादीगण वादी से द्वेष रखने लग गये थे जिससे वादी के साथ मारपीट पर आमादा हो गये तो वादी ने गॉव छोडकर दूसरे गॉव में रहना आरम्भ कर दिया । प्रतिवादीगण ने इसी दुर्भावना से वर्ष 1991 में वादी की उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 14 का कब्जा हटवाया जाकर उक्त भूमि को वादी के कब्जे में दिया जावे ओर प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य के कारण वादी उक्त भूमि के लाभ से वंचित है उसका हर्जा वादी को दिलाया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 से 14 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2018 वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट लालचन्द व नन्दलाल के सहखातेदारी में दर्ज है तथा कोई भी सहखातेदार कब्जे का दावा प्रस्तुत कर सकता है । अन्य अतिक्रमी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट से कब्जा प्राप्त करने के लिए अपीलान्ट को बंटवारा करवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से भूमि मंदिर को समर्पित कर दिये जाने की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । सहखातेदारान एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण में राजीनामा अनुसार उक्त भूमि घनश्याम व चतुर्भुज के कब्जे काश्त में रखी जाना माना गया है । प्रतिवादी भोजा आत्मज जगन्नाथ, चन्दना आत्मज कालू एवं नाथे आत्मज हरदेव की वाद विचारण के दौरान मृत्यु हो गई जिसकी सूचना उनके अभिभाषक ने नहीं दी है । मृतक प्रतिवादीगण अतिक्रमी थे जिनकी मृत्यु के साथ ही उनके विरूद्ध वादकारण समाप्त हो गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने हेतु एक दावा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादी लालचन्द एवं नन्दलाल के संयुक्त खाते में दर्ज है । शेष प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 01.05.1991 को कब्जा कर लिया है जिन्हें बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है । प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया जिसमें यह कथन किया कि खातेदारान के पिता के जीवनकाल में मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज ग्राम के तेल भोग हेतु समर्पित कर दिया जाना प्रकट किया । पक्षकारों के अभिवचनों के अनुसार 03 तनकीयात कायम की गई और त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के सहखातेदारी में दर्ज है । किसी अन्य अतिक्रमी को इस पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादीगण की ओर से भूमि मंदिर को समर्पित कर दिये जाने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2018 निरस्त फरमाया जावे । एक सहखातेदार बेदखली का दावा कर सकता है । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1957 पेज 302, आरआरडी 1995 पेज 181, आरआरडी 1989 पेज 794, एआईआर 1957 (राज0) पेज 302, आरआरडी 1995 पेज 181 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण क्रम 1 से 14 से कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया । जिसका जवाब इंकारी पेश किया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर के तेल, भोग के लिए ग्राम वासियों को संभलाया गयी थी जिस पर कब्जा व ादी का नहीं है ।

10. वादी की ओर से बयान पीडब्ल्यू–1 चतुर्भुज कराये गये हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से बयान डीडब्ल्यू–1 गोपाल, डीडब्ल्यू– 2 नन्दलाल कराये गये हैं ।

12. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2046–49 खाता संख्या 96 पेश की गई है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 301 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि लालचन्द, घनश्याम, नन्दलाल वल्द हजारी, चतुर्भुज पुत्र छोगालाल 13/25 व मंगल सिंह, सुखा सिंह पिसरान करतार सिंह कौम जटसिख हिस्सा 12/25 सहखातेदार दर्ज हैं ।

13. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15 व 16 एवं मंगल, सुक्खा पिसरान करतार सिंह के संयुक्त खाते में दर्ज है । वादी ने प्रतिवादीगण क्रम 1 से 14 के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जबरन दिनांक 19. 05.1991 को कब्जा किये जाने का कथन किया गया है । प्रतिवादीगण ने यह कथन किया है कि प्रतिवादी नन्दलाल एवं लालचन्द्र के पिता घनश्याम हजारी एवं चतुर्भुज के द्वारा मूर्ति मंदिर लक्ष्मीनाथ के तेल, भोग के लिए समर्पित की थी और इस पर वादीगण का कब्जा नहीं है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है । प्रतिवादी यह कथन करते हैं कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर को समर्पित की गई थी परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है ।

14. जहॉ तक वादग्रस्त आराजी जो संयुक्त खाते में दर्ज थी और कुछ सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, धारा 183 का दावा सहखातेदारों में से किसी एक के द्वारा पेश किया जा सकता है ।

15. वादी के द्वारा अपने दावे की मद संख्या 10 में यह अंकित किया है कि दावा अन्दर मियाद मुकर्रर न्यायशुल्क के साथ पेश है और प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावे में इस चरण को अस्वीकार किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो तनकी कायम की गई है उसमें अवधि के बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की गई है जबकि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में मियाद का बिन्दु बहुत महत्वपूर्ण होता है । ऐसी स्थिति में नियमानुसार एक अतिरिक्त तनकी कायम किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :–

"आया दावा वादी अन्दर मियाद है" – वादी ।

16. इस अतिरिक्त तनकी के बाबत् उभयपक्षकारान को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को हम अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.04.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अतिरिक्त तनकी पर उभय पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा